लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
034/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/81)	27.03.2026	30.04.2026

श्री दीपक जायसवाल निवासी अरनिया पंथ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अपील आवेदन :– अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक 30.04.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 18.02.2026 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं./034/2026(सू.अ.)(30.04)/272 दिनांक 23.04.2026 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.04.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः वांछित सूचना निः शुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक अपनी टिप्पणी/कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा उनका गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन दिनांक 18.02.2026 प्रेषित किया जो कि लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि विहित समयावधि में इस अपीलीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 18.02.2026 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आदिनांक तक उसे प्राप्त/उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया है जबकि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/बिन्दुवार टिप्पणी अप्राप्त है जिससे अपीलार्थी के अपील आवेदन का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2026 का नियमानुसार निर्धारित समायावधि में निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 10 दिवस में, वांछित सूचना/विनिश्चय, प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में अथवा लोक सूचना अधिकारी की पहुँच में, जिस रूप में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संधारित हों, उसी रूप में, अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षर कर जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official